न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 8/2013 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2013/00036

1. अनिल कुमार पुत्र श्री दाताराम जाति अहीर(यादव) नगलारूध तहसील बहरोड़ जिला अलवर हाल चक 532–500 आर.डी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. सावित्री देवी पत्नी राजस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी चक 1 जीडी''ए'' तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

2. दयानंद
3 धर्मपाल
4 कुष्ण कुमार
5 राम निवास

पुत्रगण प्रभात जाति अहीर(यादव) निवासीगण हाल खैराणा की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुंझंनु।

6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार छत्तरगढ।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट
श्री हरिराम बिश्नोई — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1

निर्णय

दिनांक 29.08.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ जिला बीकानेर के निर्णय दिनांक 16.01.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 532–500 आरडी के मुरब्बा नंबर 220/61, 220/62, 240/06, 240/14 की कुल 23 बीघा भूमि अपीलांट के द्वारा मृतक प्रभात अहीर(यादव) के वारिसान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.02.2009 से खरीद की। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के पिता स्व. प्रभात अहीर के फौत के पश्चात इंतकाल संख्या 77 द्वारा स्व. प्रभात अहीर के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज कर दिया गया। अपीलांट ने इंतकाल संख्या 77 दिनांक 20.08.2008 के तस्दीक होने के पश्चात दिनांक 17.02.2009 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.02.2009 से खरीद की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त वादगत भूमि को प्रभात पुत्र भूरा जाति अहीर से दिनांक 15.09.2008 जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद बताकर इंतकाल संख्या 77 दिनांक 20.08.2009 को बैकडेट में जीवित

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

व्यक्ति को गलत रूप से मृत बताकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 ने अपने नाम दर्ज करवाना बताया । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इंतकाल संख्या 77 दिनांक 20.08.2009 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज इंतकाल संख्या 77 दिनांक 20.08.2009 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के अपीलाधीन उक्त आदेश दिनांक 16.01.2013 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम पंचायत महादेववाली द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 77 दिनांक 20.08.2008 की अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुई। उक्त इंतकाल संख्या 77 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के पिता स्व. प्रभात अहीर के देहावसान के पश्चात ग्राम पंचायत की आम सभा में प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.8.2008 का दर्ज किया गया। जिसकी सत्यता पर कोई संदेह नही किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेन्डाई नहीं थी क्योकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादगत भूमि दिनांक 15.09.2008 को तथाकथित बैयनामें के जरिये खरीद करना बताया है जबकि इंतकाल संख्या 77 दिनांक 20.08.2008 को तस्दीक किया गया था इस लिए दिनांक 20.08.2008 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपील में वादगत भूमि के संबंध में कोई हित नही रखती थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 15.09.2008 के विरूद्ध पुलिस जांच लंम्बित है तथा किसी फौरजारी की जांच पुलिस द्वारा ही की जा सकती है। तहसीलदार द्वारा नहीं। अपीलांट का नाम रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इंतकाल संख्या 77 के बाद अपीलांट के नाम भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल दर्ज हो चुका है। इस प्रकार जहां इंतकाल की आगे कार्यवाही हो चुकी हो, वहां इंतकाल की कार्यवाहीयों में स्वतः की जांच व निर्धारण नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को इंतकाल संख्या 77 का यथावत रखना चाहिए था, जिसे निरस्त करके भारी कानूनी गलती की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश 16.01.2013 निरस्त फरमावें। इंतकाल संख्या 77 दिनांक 77 दिनांक 20.08.2008 की पुष्टि की जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री हरिराम विश्नोई अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रिकोर्डेड खातेदार प्रभात पुत्र भूरा जाति अहीर से दिनां 15.09.2008 का जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने समस्त प्रतिफल की राशि का विक्रता को भुगतान कर दिया है और मौके पर भी काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया बैयनामा स्वयं खातेदार प्रभात अहीर द्वारा तहसील में हाजिर होकर रूबरू गवाहान तस्दीक करवाया गया हैं एवं बैयनामा के दिन भूमि के रिकॉर्ड जमाबंदी में उक्त भूमि विक्रेता के नाम दर्ज होने व उक्त जमाबंदी की प्रमाणित

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रतिलिपि के आधार पर उपपंजीयक, छत्तरगढ़ द्वारा उक्त बैयनाम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से विधिवत तस्दीक किया गया था। परन्तु इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 ने गलत रूप से उक्त भूमि का इंतकाल भूमि विक्रय के पश्चात बैकडेट में विक्रेता को गलत रूप से मृतक बताकर अपने नाम से दर्ज करवा लिया जो कि हर प्रकार से गलत व नियमों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। बैयनामा के दिन उक्त भूमि प्रभात अहीर के नाम से बतौर खातेदार दर्ज थी तो फिर इंतकाल संख्या 77 दिनांक 20.08.2008 में खातेदार को मृतक किस आधार पर मान लिया। इससे स्पष्ट हैं कि इंतकाल की तमाम कार्यवाही बैकडेट में बिना किसी आधार के की गई हैं जो हर प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार, छत्तरगढ़ सरपंच ग्राम पंचायत, महादेववाली के इंतकाल संख्या 77 दिनांक 20.08.2008 को निरस्त कर कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सावित्री देवी पत्नी राजस्वरूप को उक्त वादगत भूमि का का बैयनामा दिनांक 15.09.2008 को किया गया जो की उपंपजीयक छत्तरगढ़ से पंजीबद्ध है। वहीं दुसरी और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 में उक्त बैयनामा दिनांक 15.09.2008 के विक्रेता प्रभात अहीर के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 ने ग्राम पंचायत महादेववाली सें इंतकाल संख्या 77 दिनांक 20.08.2008 को दर्ज करवा लिया। प्रभात अहीर के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 ने उक्त वादगत भूमि को अपीलांट अनिल कुमार पुत्र श्री दाताराम को विक्रय कर दी। उक्त प्रकरण में खातेदार प्रभात अहीर की मृत्यु कब हुई इसकी जांच की जानी चाहिए तत्पश्चात ही अपीलाधीन भूमि के संबंध में इंतकाल का निर्णय किया जा सकता है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2013 उचित प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2013 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर